कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड, पौड़ी::

संख्या 492/10– स्था0(366)/ स.ख.वि.अ./वार्षिक स्था0–2023–24/दिनांक 09 जून, 2023

:: स्थानान्तरण आदेश ::

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग,उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI (3)/ 2018/20(1)/2017/दिनांक 05 जनवरी 2018 से प्रकाशित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017(संख्या 01 वर्ष 2018) के आलोक में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में वार्षिक स्थानान्तरण के उद्देश्य से स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रमोत्तर ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रों में स्थित विकास खण्डों/जनपद में कार्यरत निम्न तालिका में उल्लिखित सहायक खण्ड विकास अधिकारी को वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा–17–(1)–(ग) दुर्गम स्थान से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण' के तहत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में इंगित उनके वर्तमान तैनाती स्थल/जनपद से स्तम्भ–04 में उल्लिखित विकास खण्ड/जनपद में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र. सं.	सहायक खण्ड विकास अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती विकास खण्ड/जनपद	स्थानान्तरण हेतु संस्तुत विकास खण्ड/ जनपद
01	02	03	04
1	श्री केशर सिंह बिष्ट	विकास खण्ड स्याल्दे, जनपद अल्मोड़ा	विकास खण्ड हवालबाग,(सुगम क्षेत्र हेतु) जनपद अल्मोड़ा
2	श्री रोशन लाल	विकास खण्ड थलीसैंण, जनपद पौड़ी	विकास खण्ड कीर्तिनगर(सुगम क्षेत्र हेतु) जनपद टिहरी
3	श्री राजीव ध्यानी	विकास खण्ड प्रतापनगर, जनपद टिहरी	विकास खण्ड द्वारीखाल(सुगम क्षेत्र हेतु) जनपद पौड़ी
4	श्री ललित मोहन जोशी	विकास खण्ड यमकेश्वर, जनपद पौड़ी	विकास खण्ड खानपुर(सुगम क्षेत्र हेतु) जनपद हरिद्वार
5	श्री धूम सिंह	विकास खण्ड जखोली, जनपद रूद्रप्रयाग	विकास खण्ड खिर्सू(सुगम क्षेत्र हेतु) जनपद पौड़ी

1 उक्त स्थानान्तरित सहायक खण्ड विकास अधिकारी एक सप्ताह अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण कर लिया जाना सुनिश्चित कर लें। सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी स्थानान्तरित अधिनियम की धारा–22 के अनुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक खण्ड विकास अधिकारी को तद्नुसार तत्काल अवमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

2 उक्तानुसार अवमुक्त होने वाले सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।

3 उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

4 सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उसके विरुद्ध वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

5 उक्त सहायक खण्ड विकास अधिकारी का स्थानान्तरण दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र के अन्तर्गत किये जाने पर सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी स्थानान्तरित सहायक खण्ड विकास अधिकारी की तैनाती सुगम क्षेत्र के विकास खण्ड में अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेंगें।

(नितिका खण्डेलवाल)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास।

संख्या 492 /10 –स्था0 (366)/ स.ख.वि.अ. /वार्षिक स्था0–2023–24/तद्दिनांकित

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उपरोक्त सम्बन्धित सहायक खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, रूद्रप्रयाग एवं हरिद्वार।
2. खण्ड विकास अधिकारी, स्याल्दे(जनपद अल्मोड़ा), थलीसैंण(जनपद पौड़ी), प्रतापनगर(जनपद टिहरी), यमकेश्वर(जनपद पौड़ी), जखोली(जनपद रूद्रप्रयाग), हवालबाग(जनपद अल्मोड़ा), कीर्तिनगर(जनपद टिहरी), द्वारीखाल(जनपद पौड़ी), खानपुर(जनपद हरिद्वार) एवं खिर्सू(जनपद पौड़ी)।

3 ..कोषाधिकारी / मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, रूद्रप्रयाग एवं हरिद्वार।
4 .जिला विकास अधिकारी, अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, रूद्रप्रयाग एवं हरिद्वार।
5 .मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, रूद्रप्रयाग एवं हरिद्वार।
6 .सचिव, ग्राम्य विकास विभाग (ग्राम्य विकास अनुभाग–3), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।

(नितिका खण्डेलवाल)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास।